प्रेषक,

प्रमुख सचिव,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

सेवा मे,

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

पत्रसंख्या :–एसपीएमयू/जे0एस0एस0के0/93/2012–13/605-2 दि0 28.06.2012

विषयः "जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम" के समुचित संचालन, पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण विषयक संशोधित दिशा–निर्देश।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के सम्बन्ध में पूर्व में भेजे गये पत्रसंख्याः–एसपीएमयू/जे0एस0एस0के0/93/2012–13/2171–2 दि0 12.10.2011 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। आप अवगत हैं कि उक्त कार्यक्रम अगस्त, 2011 से ही प्रदेश में आरम्भ किया गया है तथा आरम्भिक कठिनाइयों को देखते हुए प्रथम वर्ष में इसे मात्र 165 प्रथम संदर्भन इकाइयों पर ही संचालित किया गया। इनमें से ड्रॉप बैक की निःशुल्क व्यवस्था मात्र 139 इकाइयों में तथा निःशुल्क भोजन की व्यवस्था मात्र 136 इकाइयों में (जिला स्तरीय चिकित्सालयों में स्टेट बजट से की गई व्यवस्था को सम्मिलित करते हुए) आरम्भ की जा सकी।

वर्ष 2012–13 में भारत सरकार स्तर से अनुमोदित राज्य कार्ययोजना में प्राप्त स्वीकृति के अनुसार प्रदेश की हर गर्भवती महिला, जो राजकीय स्वास्थ्य इकाई पर प्रसव करायेगी, उसे प्रसव पूर्व, प्रसव के दौरान एवं प्रसवोपरान्त औषधियों एवं प्रयोग में आने वाली समस्त कन्ज्यूमेबिल्स की निःशुल्क उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाएगी। सामान्य प्रसव के दौरान स्वास्थ्य इकाई पर रुकने पर 3 दिन तक तथा सीजेरियन के केस में 7 दिन तक निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की जाएगी। अति रक्ताल्पता वाली गर्भवती महिलाओं को रक्ताधान किये जाने पर प्रयुक्त होने वाले कन्ज्यूमेबिल्स एवं जांचों का भी कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा, यद्यपि रक्तदान का कार्य परिवार के सदस्यों को ही करना होगा। प्रसवोपरान्त माँ तथा नवजात शिशु को सकुशल घर तक पहुंचाने हेतु निःशुल्क वाहन की व्यवस्था की जायेगी एवं घर पर रुग्ण होने पर एक माह तक के नवजात को स्वास्थ्य इकाई तक पहुंचाने एवं उपचार कराने पर आशा को विशेष मानदेय की धनराशि भी दी जायेगी। स्वास्थ्य इकाई पर नवजात शिशु को निःशुल्क उपचार भी उपलब्ध कराया जायेगा।

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2012–13 में विभिन्न मदों में अनुमोदित दरों के अनुसार कार्यक्रम के समुचित संचालन हेतु पूर्व में प्रेषित किये गये समस्त निर्देशों को अवक्रमित करते हुए निम्न गतिविधिवार दिशा–निर्देश प्रेषित किये जा रहें हैंः–

1. <u>निःशुल्क ड्रॉप बैक सुविधाः–</u>
   - इस सम्बन्ध में पूर्व में प्रेषित दिशा–निर्देश एवं जनपद में संचालित की गई गतिविधि से प्राप्त अनुभव के आधार पर जिला स्वास्थ्य सोसाइटी स्तर पर आवश्यकतानुसार संशोधन कर लिये जायें तथा शासी निकाय का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय। प्रत्येक जनपद वित्तीय एवं प्रशासनिक नियमावली का अनुपालन अपने स्तर पर सफलतापूर्वक गतिविधि के संचालन हेतु स्वतन्त्र है। यह सुनिश्चित किया जाना है कि माह जुलाई, 2012 में ही जनपद की समस्त चिन्हित L-2 एवं L-3 प्रसव इकाइयों तथा यदि जनपद में स्टेट/सेन्ट्रल मेडिकल कॉलेज हो तो इसके स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग में होने वाले प्रसवों हेतु वाहन की सुविधा उपलब्ध करा दी जाय। चयन का कार्य खुली निविदा प्रकिया द्वारा किया जाय तथा वाहन द्वारा माह में सकुशल घर पहुंचाये गये लाभार्थियों की न्यूनतम संख्या नियत कर ली जाय। वर्ष 2012–13 में भारत सरकार द्वारा इस गतिविधि हेतु ₹ 250.00 प्रति गर्भवती महिला की दर से वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

- पूर्व में दिये गये निर्देशानुसार अधिकतम 4 वर्ष पुराने वाहनों को प्राथमिकता दी जाय तथा यदि इससे ज्यादा नए वाहन प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं तो इसे आवश्यकतानुसार शिथिल करके प्रस्ताव जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में अनुमोदित अवश्य कराया जाय। अन्य बिन्दुओं पर गत वर्ष भेजे गये विस्तृत दिशा–निर्देशों का संज्ञान लिया जा सकता है। मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी पत्रसंख्या–447/30–4–12–8(22)/12 दिनांक 16 मई, 2012 के अनुसार यह सुनिश्चित किया जाय कि टैक्सी के रूप में संचालन हेतु निजी वाहनों को आबद्ध न किया जाय।
- पूर्व में लाभार्थियों की संख्या के सम्बन्ध में दिये गये सुझाव के आधार पर ही वर्ष 2012–13 के लिए भारत सरकार द्वारा अनुमोदित रु0 250.00 प्रति लाभार्थी की नवीन दरों के क्रम में लाभार्थियों की नियत संख्या तक एक निर्धारित धनराशि तथा उसके पश्चात जनपदीय स्वास्थ्य समिति के स्तर पर लिये गये निर्णय के अनुसार अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था अपनाई जाय। किसी भी स्थिति में कुल भुगतान की गई धनराशि स्वीकृत धनराशि से अधिक न होने पाये। यदि किसी इकाई पर अधिक लाभार्थी नियमित रूप से सुविधा प्राप्त कर रहे हैं तो सेवा प्रदाता से अतिरिक्त वाहनों की व्यवस्था कराई जाए।
- इस सम्बन्ध में सम्बन्धित इकाइयों के चिकित्सा अधीक्षकों तथा नोडल अधिकारियों के साथ विचार–विमर्श कर लें तथा नवीन नियमों एवं शर्तों से अवगत कराते हुए निविदा तथा अनुबन्ध–पत्र में यथोचित संशोधन करते हुए आवश्यक कार्यवाही पूर्ण की जाय।
- यह सुनिश्चित किया जाय कि वाहन के पास टैक्सी परमिट, विस्तृत बीमा (comprehensive insurance) तथा सभी तकनीकी अभिलेख जैसे फिटनेस, पंजीयन आदि उपलब्ध हों।
- जनपद में एजेन्सी/सेवाप्रदाता के चयन पर अंतिम निर्णय जिला स्वास्थ्य सोसाइटी के शासी निकाय का होगा, जिसके अध्यक्ष जिलाधिकारी हैं तथा निर्णय के पश्चात मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा सेवा प्रदाता के मध्य 2 वर्ष हेतु अनुबन्ध–पत्र भरा जायेगा, जिसके पूर्व प्रेषित प्रारूप में आवश्यकतानुसार जिला स्वास्थ्य सोसाइटी के अनुमोदनोपरान्त संशोधन कर लिया जाय। यदि सेवा प्रदाता द्वारा संतोषजनक सेवायें प्रदान की जाती हैं, तो यह अनुबन्ध राज्य स्तर पर कार्यकारी समिति द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में एक वर्ष और बढ़ाया जा सकेगा।
- मरीजों के डिस्चार्ज का समय सामान्यतः पूर्वान्ह का ही होता है अतः ड्राप बैक का वाहन पूर्वान्ह 10.00 बजे से अपरान्ह 4.00 बजे तक ही लाभार्थियों को लेकर जाए जिससे अंतिम लाभार्थी को सकुशल घर पहुंचाकर वाहन सायं 6–7 बजे तक वापस इकाई पर पहुंच जाए। स्वास्थ्य इकाई के नोडल अधिकारी का यह दायित्व है कि वह इस प्रकार वाहन व्यवस्था संचालित कराये कि सभी प्रसूताओं को सकुशल घर भेजे जाने की व्यवस्था की जा सके।
- पूर्व में दिये गये निर्देशानुसार वाहन में फर्स्ट–एड किट (प्राथमिक उपचार) अवश्य रखी जाय तथा वाहन चालक को अर्द्धदिवस का संक्षिप्त प्रशिक्षण भी दिया जाये।
- वाहन के चारों ओर **"जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम" उत्तर प्रदेश,** लिखा जाए तथा अन्य विवरण जैसे–चौबीसों घंटे प्रसव सुविधा, उपलब्धता का स्थान, टोल–फ्री नम्बर, शिकायत हेतु नोडल अधिकारी का नम्बर आदि वाहनों पर प्रदर्शित किया जाए।
- वाहन अनुबन्धकर्ता से अनुबन्ध करने के पश्चात वाहनों को सेवा प्रदाता एवं समिति के सदस्यों की पारस्परिक सहमति से विकास खण्डवार क्षेत्र आवंटित किया जाय। वाहन चालकों का नाम तथा मोबाइल नम्बर विकास खण्ड स्तरीय सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा जिला स्तरीय चिकित्सालयों में सूचनापट, योजना सम्बन्धी प्रचार–प्रसार पोस्टर तथा चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय में प्रदर्शित कराया जाय। स्वास्थ्य इकाई से चलते समय वाहन का किलोमीटर हर बार नोट किया जाय। घर पहुंचकर लाभार्थी द्वारा वाउचर बुक में **संलग्नक–1** के अनुसार किलोमीटर

सत्यापित करते हुए हस्ताक्षर किया जाय तथा प्रत्येक दिन इकाई के नोडल अधिकारी तथा प्रत्येक माह जिला नोडल अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाय।

- पूर्व में दिये गये निर्देशानुसार ही जिस सेवा प्रदाता द्वारा अनुबंध पर वाहन प्रदान किया गया है उसके द्वारा पूरे माह में कितने लाभार्थियों को वाहन सुविधा उपलब्ध कराई गई है, की सूचना सहित उसका देयक जिला नोडल अधिकारी को अगले माह की 5 तारीख तक प्रस्तुत किया जाए, जिसका सत्यापन स्वास्थ्य इकाई के रिकार्ड तथा प्राविधानित वाउचर बुक एवं लॉग बुक के अनुसार ही किया जाये। तत्पश्चात नोडल अधिकारी द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त चेक द्वारा भुगतान किया जाए। समस्त भौतिक एवं वित्तीय विवरण हर माह होने वाली जिला स्वास्थ्य सोसाइटी की बैठक में जिला नोडल अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया जाय। भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये फाइनेन्शियल मैनुअल की गाइडलाइन्स का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाय।
- यद्यपि पूर्व में प्रेषित किये जा चुके हैं, लॉग बुक का प्रोटोटाइप, सेवा प्रदाता द्वारा प्रेषित किये जाने वाले मासिक विवरण का प्रोटोटाइप तथा प्रतिमाह विभिन्न स्तरों से सत्यापन कराये जाने हेतु सत्यापन प्रपत्र पुनः क्रमशः **संलग्नक–2, 3 एवं 4** पर प्रेषित किये जा रहें हैं।

2. <u>निःशुल्क भोजन व्यवस्थाः–</u>

- वर्ष 2012–13 में भी पूर्व के अनुसार ही जिला महिला एवं संयुक्त चिकित्सालय में यह व्यवस्था राज्य बजट से ही की जायेगी। इस मद में धनराशि की अतिरिक्त आवश्यकता होने पर महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा वित्त नियंत्रक–चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को पत्र भेजा जाय। इसी प्रकार मेडिकल कॉलेजों में होने वाले प्रसवों हेतु भी यह व्यवस्था चिकित्सा शिक्षा के बजट से मेडिकल कॉलेज प्रशासन द्वारा पूर्ववत ही की जायेगी।
- शेष उन सभी प्रसव इकाइयों (सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अथवा खण्ड स्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा कतिपय जनपदों में प्रसूति गृह आदि) पर यह व्यवस्था जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत की जानी है, जहां बड़ी संख्या में प्रसव हो रहें हैं तथा प्रसवोपरान्त लिटाने के लिए महिलाओं के लिए अलग से पर्याप्त व्यवस्था है क्योंकि भारत सरकार के स्तर से इस सम्बन्ध में लगातार निर्देश प्राप्त हो रहें हैं कि प्रसवोपरान्त महिलाओं को कम से कम 48–72 घंटे तक स्वास्थ्य इकाई पर रोका जाय। इसी कारण वर्ष 2012–13 में जनपद की चिन्हित L-2 एवं L-3 प्रसव इकाइयों में ₹ 100 प्रतिदिन की दर से सामान्य प्रसवों हेतु 3 दिनों तथा सीजेरियन प्रसव हेतु 7 दिनों के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था के लिए धनराशि स्वीकृत की गई है। जनपद की इस प्रकार चिन्हित L-2 एवं L-3 प्रसव इकाइयों के लिए खुली निविदा प्रकिया द्वारा सेवा प्रदाता का चयन किया जाय तथा जिला स्वास्थ्य समिति की शासी निकाय की बैठक में अनुमोदनोपरान्त चयनित सेवा प्रदाता के साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा 2 वर्ष का अनुबन्ध कराया जाय।
- प्रयास किया जाय कि जनपद के अच्छे रेस्टोरेन्ट अथवा जन कल्याणकारी संस्थाओं (जैसे–रोटरी क्लब, लायन्स क्लब, इनर व्हील क्लब, महिला समाख्या, अक्षय पात्र आदि) के माध्यम से यह कार्य कराया जाय। यदि ब्लॉक स्तर पर इनके माध्यम से भोजन व्यवस्था सम्भव न हो तो ग्राम्य विकास विभाग द्वारा गठित एस0जी0एस0वाई0 के महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से यह कार्य कराया जाय तथा ध्यान रखा जाय कि भोजन गुणवत्तापरक, पौष्टिक एवं ताजा हो। भोजन तैयार करने के लिए डिब्बाबंद रिफाइण्ड ऑयल (आई.एस.ओ. मार्क), डिब्बाबंद एगमार्क मसाले तथा ताजी सब्जियां इस्तेमाल की जायें। कच्चे माल के लिए जनपद की मण्डी समिति अथवा पराग डेयरी से समन्वय किया जा सकता है।

- भोजन व्यवस्था की गुणवत्ता एवं समयबद्धता पर पूर्ण ध्यान दिया जाय तथा जनपदीय नोडल अधिकारी, खाद्य एवं औषधि नियंत्रण विभाग के प्रतिनिधि एवं आपके द्वारा समय–समय पर आच्छादित इकाइयों में इस सम्बन्ध में औचक निरीक्षण भी किया जाय। प्रत्येक आच्छादित इकाई के नामित नोडल अधिकारी द्वारा भोजन बनने के स्थान पर जाकर भोजन की गुणवत्ता हेतु समय–समय पर निरीक्षण किया जाना अपेक्षित है। प्रत्येक दिन आच्छादित स्वास्थ्य इकाई पर नामित नोडल अधिकारी/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी/सिस्टर नर्स द्वारा लाभार्थियों को भोजन बंटने से पूर्व चखा जायेगा तथा इसकी गुणवत्ता के सम्बन्ध में "निःशुल्क भोजन रजिस्टर" में अंकित किया जायेगा। यह सुनिश्चित किया जाये कि लाभार्थी को भोजन साफ सुथरे टिफिन बाक्स/बंद थाली में दिया जाए। इसके लिए स्वास्थ्य इकाई पर एक रजिस्टर अलग से बनाया जायेगा, जिसके कॉलम्स का प्रोटोटाइप **संलग्नक–5** पर प्रेषित किया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक दिन के लाभार्थियों की संख्या, लाभार्थियों को दिये जाने वाले भोजन–आधा लीटर अमूल/पराग के दूध की थैली, दो फल अथवा दो अण्डे तथा दोनों समय का भोजन (दिन में दाल, चावल, रोटी, सब्जी, सलाद तथा रात्रि में सब्जी रोटी/पराठा सब्जी आदि) के सम्बन्ध में अलग–अलग कॉलम्स में भरा जायेगा। इसी रजिस्टर में एक कॉलम चिन्हित अधिकारियों द्वारा भोजन के गुणवत्तापरक होने के प्रमाण पत्र के रूप में भी होगा, जो प्रतिदिन हस्ताक्षरित किया जायेगा।
- यदि किसी इकाई पर ताजे भोजन की व्यवस्था न की जा सके, तो प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से गर्भवती महिला/प्रसूता को आधे लीटर दूध की दो थैली (लगभग रु0 40.00), दो फल तथा दो अण्डे (लगभग रु0 20.00) अथवा यदि कोई महिला अण्डे न खाती हो तो इस मूल्य के 4–5 फल तथा दोनों समय अच्छी ब्राण्ड की आई0एस0ओ0 प्रमाणित डबलरोटी तथा 20 ग्राम अमूल/पराग का मक्खन उपलब्ध कराया जाय।
- पूर्व में प्रेषित किये गये विस्तृत दिशा–निर्देशों का संज्ञान लेते हुए चयन, अनुमोदन, अनुबन्ध, रिपोर्टिंग, सत्यापन तथा भुगतान आदि की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। इस सम्बन्ध में अंतिम निर्णय तथा उत्तरदायित्व जनपदीय स्वास्थ्य समिति का ही होगा।

3. <u>निःशुल्क औषधि एंव कंज्यूमेबिल्स की व्यवस्थाः–</u>

- जैसा कि पूर्व में भी सूचित किया गया है, समस्त गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व निःशुल्क जांच तथा आवश्यक औषधियों (आयरन फोलिक एसिड तथा डी–वर्मिंग) की उपलब्धता स्वास्थ्य इकाइयों, उपकेन्द्रों तथा आउटरीच सत्रों में सुनिश्चित की जानी है। राजकीय स्वास्थ्य इकाइयों में कराये जाने वाले समस्त प्रसवों (सामान्य अथवा सीजेरियन) हेतु औषधि एवं कन्ज्यूमेबिल्स की निःशुल्क व्यवस्था कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपदों में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के स्तर से सुनिश्चित की जायेगी। सामान्य प्रसव, सीजेरियन प्रसव तथा रुग्ण नवजात के उपचार हेतु औषधियों एंव कंज्यूमेबिल्स की अंतिम सूची **संलग्नक–6, 7 एवं 8** पर प्रेषित की जा रही हैं। यह सूची महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को भी इस आशय से प्रेषित कर दी गई हैं कि वे इनके रेट कॉन्ट्रेक्ट की दरें आपको यथाशीघ्र उपलब्ध करा दें तथा यदि कतिपय सामग्री/औषधि की रेट कॉन्ट्रेक्ट दर उपलब्ध न हो तो आवश्यक कार्यवाही कराकर इनकी सूची जनपदों को उपलब्ध करा दी जाय। इन सूचिओं में गर्भावस्था के दौरान, प्रसव के दौरान तथा प्रसव के उपरान्त दी जाने वाली औषधियां सम्मिलित हैं।
- वर्ष 2012–13 के लिए भारत सरकार स्तर से स्वीकृत की गई कार्ययोजना के अनुसार प्रदेश में राजकीय स्वास्थ्य इकाइयों पर कराये जाने वाले समस्त सामान्य प्रसवों हेतु ₹ 350.00 प्रति गर्भवती महिला तथा सीजेरियन प्रसव हेतु ₹ 1600.00 प्रति गर्भवती महिला की दर से औषधियों एवं कन्ज्यूमेबिल्स की धनराशि जनपदों को निर्गत की जा रही है। इसके लिए समस्त चिन्हित L-1, L-2 एवं L-3 प्रसव इकाइयों एवं राजकीय/केन्द्रीय मेडिकल कॉलेजों के स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग में वर्ष 2011–12 में जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत कराये गये प्रसवों की सूचना के

आधार पर जनपदवार सामान्य तथा सीजेरियन प्रसवों हेतु धनराशि जनपदीय स्वास्थ्य समिति के खाते में उपलब्ध कराई जा रही है।

- मुख्य चिकित्सा अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह अपने जनपद की समस्त प्रसव इकाइयों पर कार्यभार के आधार पर आगणन करते हुए आवश्यक औषधियां एवं कन्ज्यूमेबिल्स रेट कॉन्ट्रेक्ट के आधार पर क्रय/आपूर्ति करते हुए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा प्रेषित फाइनेन्शियल मैनुअल में दिये गये समस्त वित्तीय दिशा–निर्देशों का अनुपालन करते हुए ससमय उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। प्रदेश में कार्यरत 7 राजकीय तथा 3 केन्द्रीय मेडिकल कॉलेजों के स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग में भी इनकी उपलब्धता सुनिश्चित की जानी है।
- उपकेन्द्र अथवा नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जो L-1 प्रसव इकाई के रूप में चिन्हित है, पर कराये जाने वाले प्रसवों के लिए भी ₹ 350.00 प्रति गर्भवती महिला की दर से प्रसव पूर्व, प्रसव दौरान तथा प्रसवोपरान्त औषधि एवं कन्ज्यूमेबिल्स की व्यवस्था मुख्य चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से सुनिश्चित की जानी है।
- प्रसव इकाइयों की सूची एनआरएचएम की वेब साइट www.upnrhm.gov.in पर उपलब्ध है।

4. **<u>ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अन्तर्गत निःशुल्क जांच एवं कन्ज्यूमेबिल्स की सुविधाः–</u>**

- प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के स्तर से निर्गत पत्रसंख्या–एस0पी0एम0यू0/जे0एस0एस0के0/93/2011–12/2652–3 दिनांक 07.12.2011 का सन्दर्भ लें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि उत्तर प्रदेश शासन के स्तर से निर्गत शासनादेश संख्या–1019/पांच–1–2011 दिनांक 19.04.2011 द्वारा जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत समस्त लाभार्थी महिलाओं को रक्त/रक्त अवयव हेतु सर्विस चार्ज में छूट प्रदान की गई है। उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश पूर्व में शासन द्वारा सीधे आपको माह अप्रैल, 2011 में भेजा गया था तथा पुनः इसकी छायाप्रति आपको पत्र दि0 07.12.2011 के साथ संलग्न कर प्रेषित की गई थी। अतः इस प्रकार शासन के स्तर से जननी सुरक्षा योजना के समस्त लाभार्थियों को ब्लड ट्रान्सफ्यूजन की स्थिति में कन्ज्यूमेबिल्स तथा जांचों की सुविधा निःशुल्क प्रदान की जा रही है।
- यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि रक्तदान का कार्य परिवार के सदस्यों द्वारा ही किया जायेगा। आकस्मिकता की स्थिति में रक्त की निःशुल्क व्यवस्था रक्तकोष से किये जाने हेतु जनपद में नियमित रूप से स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आयोजित किये जायें तथा रक्तकोष में पर्याप्त रक्त की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाय।

5. **<u>निःशुल्क जांचें तथा अल्ट्रासाउण्ड सुविधाः–</u>**

- इस सम्बन्ध में शासन स्तर से लिये गये निर्णय के अनुसार समस्त गर्भवती महिलाओं को रक्त, मूत्र एवं मल की निःशुल्क जांच की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। इसके अतिरिक्त गर्भवती महिलाओं से किसी भी प्रकार का उपभोक्ता शुल्क भी नहीं लिया जाना है।
- साथ ही समस्त जिला महिला/पुरुष चिकित्सालयों में अल्ट्रासाउण्ड की निःशुल्क सुविधा भी गर्भवती महिलाओं को दी जानी है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2012–13 की स्वीकृत राज्य कार्ययोजना में प्रदेश की समस्त चिन्हित L-2 एवं L-3 प्रसव इकाइयों में कराये जाने वाले समस्त प्रसवों में से लगभग 50 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं में अल्ट्रासाउण्ड कराये जाने की संभावना के दृष्टिगत ₹ 100.00 प्रति लाभार्थी की दर से धनराशि अनुमोदित की गई है।
- अतः आपके जनपद में वर्ष 2011–12 में जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत चिन्हित L-2 एवं L-3 प्रसव इकाइयों पर कराये गये प्रसवों की संख्या के आधार पर 50 प्रतिशत हेतु ₹ 100.00 प्रति केस की दर से धनराशि जिला स्वास्थ्य सोसाइटी के खाते में शीघ्र ही अवमुक्त की जा रही है, जिसे आप उन स्वास्थ्य इकाइयों पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जहां गर्भवती महिलाओं का अल्ट्रासाउण्ड किया जाना संभव हो।

- यदि महिला चिकित्सालय में अल्ट्रासाउण्ड की सुविधा उपलब्ध न हो तो पुरुष चिकित्सालय में संदर्भित गर्भवती महिला का अल्ट्रासाउण्ड कराया जाना सुनिश्चित किया जाय। आवश्यकतानुसार भारत सरकार द्वारा स्वीकृत धनराशि की वित्तीय सीमा तक निजी क्षेत्र में कार्यरत अल्ट्रासाउण्ड सुविधा का भी लाभ उठाया जा सकता है तथा इसके लिए जनपदीय स्वास्थ्य सोसाइटी के शासी निकाय में विधिवत अनुमोदन प्राप्त करके आवश्यक कार्यवाही की जा सकती है।

6. **<u>रुग्ण नवजात शिशु की निःशुल्क उपचार व्यवस्थाः–</u>**
   - जैसा कि पूर्व में सूचित किया गया है, रूग्ण नवजात के निःशुल्क उपचार की व्यवस्था भी उन सभी स्वास्थ्य इकाइयों पर की जानी है, जहां बाल रोग विशेषज्ञ अथवा नवजात शिशु के उपचार के लिए प्रशिक्षित एम0बी0बी0एस0 चिकित्सक उपलब्ध हैं। औषधियों एवं कन्ज्यूमेबिल्स की सूची संलग्न कर प्रेषित की जा रही है तथा यह सूची महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को भी उपलब्ध करा दी गई है, जो रेट कॉन्ट्रेक्ट की दरें आपको शीघ्र ही सूचित करेंगे।
   - रुग्ण नवजात के उपचार हेतु ₹ 200.00 प्रति रुग्ण नवजात की दर से जनपद में होने वाले कुल संभावित प्रसवों के 5 प्रतिशत नवजातों हेतु धनराशि जनपदीय स्वास्थ्य समिति के खाते में अवमुक्त की जा रही है।
   - मुख्य चिकित्सा अधिकारी का दायित्व है कि अंतिम की गई सूची के आधार पर सभी चिन्हित स्वास्थ्य इकाईयों पर रुग्ण नवजात (जन्म के 30 दिन तक) के पहुंचने पर उसके पूर्णतया निःशुल्क उपचार हेतु आवश्यक औषधि एवं कन्ज्यूमेबिल्स की व्यवस्था सुनिश्चित करें।
   - आशा द्वारा प्रत्येक नवजात को घरेलू देखभाल हेतु प्रथम 42 दिन तक 7 बार विजिट किये जाने का प्राविधान है। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा यह प्राविधान भी किया गया है कि यदि आशा रुग्ण नवजात को स्वास्थ्य इकाई तक लेकर आती है तथा उसका उपचार सुनिश्चित कराती है तो उसे ₹ 250.00 प्रति नवजात की दर से संदर्भन परिवहन हेतु धनराशि देय होगी। इस सम्बन्ध में जनपद एवं ब्लॉक स्तर पर होने वाली सभी बैठकों में चिकित्सा अधिकारियों, ए0एन0एम0 तथा आशा को विस्तार से बताया जाय, आशा को दिये जाने वाले इन्सेन्टिव्स की सूची में सम्मिलित किया जाय तथा व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाय, जिससे आशा द्वारा होम विजिट के दौरान पहचाने गये रुग्ण बच्चों को समय पर उपचार दिलवाकर नवजात शिशु मृत्यु दर में कमी लाई जा सके। इसके लिए स्वास्थ्य इकाइयों एवं उपकेन्द्रों की दीवारों पर वॉल राइटिंग भी कराई जा सकती है।
   - चिकित्सा इकाई पर रुग्ण नवजात के पहुंचने तथा उपचार किये जाने के उपरान्त सम्बन्धित चिकित्सा अधिकारी द्वारा यह प्रमाण पत्र दिया जायेगा कि नवजात को उसी क्षेत्र की आशा अपने पास से धनराशि व्यय करके लेकर आई है, तभी आशा को यह धनराशि देय होगी अन्यथा लेकर आने वाले माता–पिता को प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराकर धनराशि का भुगतान कराया जा सकेगा। आशा को देय धनराशि माह के कुल वाउचर्स की संख्या के आधार पर उस क्षेत्र की ब्लॉक पी0एच0सी0/सी0एच0सी0 के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा सत्यापन के पश्चात वर्तमान में लागू प्रकिया के अनुसार सीधे उनके खाते में इलेक्ट्रानिकली ट्रांसफर की जायेगी। माता–पिता को दी जाने वाली धनराशि का भुगतान उस स्वास्थ्य इकाई पर कार्यरत जननी सुरक्षा योजना सेल के माध्यम से बियरर चेक द्वारा उसी प्रकार किया जायेगा, जिस प्रकार जननी सुरक्षा योजना में आशा के सहयोग के बिना सीधे पहुंचने वाले लाभार्थियों को किया जाता है। जननी सुरक्षा योजना सेल में इस भुगतान हेतु अलग से रजिस्टर बनाया जाए तथा जारी किये गये प्रमाण पत्रों को सुरक्षित रखने के लिए अलग से पत्रावली मेनटेन की जाए। प्रमाण पत्र का प्रोटोटाइप **संलग्नक–9** पर इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि इसका मुद्रण कराकर जिला महिला चिकित्सालय/जिला संयुक्त चिकित्सालय के महिला अनुभाग तथा उन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर उपलब्ध करा दिया जाय, जहां रुग्ण नवजात का उपचार सम्भव है। इस मद में धनराशि की व्यवस्था बाल स्वास्थ्य मद के अन्तर्गत निःशुल्क संदर्भन परिवहन सुविधा के अन्तर्गत की गयी है।

7. <u>ग्रीवेन्स रीड्रेसेल सेल का गठनः–</u>

- आप अवगत हैं कि राज्य स्तर पर टोल फ्री नम्बर 1800–180–1900 पर ग्रीवेन्स रीड्रेसेल सेल का गठन किया गया है। जनपदों में इसे क्रियाशील करने के सम्बन्ध में पत्र दिनांक 20.09.2011 प्रेषित किया गया था तथा आशा है कि सभी जनपदों में ग्रीवेन्स रीड्रेसेल सेल के गठन, ग्रीवेन्स रीड्रेसेल हेतु नोडल अधिकारी का नामांकन एवं इस हेतु एक टोल–फ्री नम्बर की व्यवस्था की कार्यवाही की जा रही होगी। इसमें शीघ्र कार्यवाही अपेक्षित है।
- भारत सरकार द्वारा वर्ष 2012–13 में प्राप्त दिशा–निर्देशों के क्रम में जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम तथा टीकाकरण आदि हेतु जनपद स्तर पर एक ही ग्रीवेन्स रीड्रेसेल सेल अथवा कॉल सेन्टर की स्थापना की जानी है, जिसके लिए जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत जनपद स्तर पर दिये गये 4 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय से आवश्यक धनराशि की व्यवस्था की जायेगी तथा इस स्तर पर प्रशिक्षित कॉल ऑपरेटर्स के माध्यम से जनसमुदाय की समस्याओं एवं शिकायतों का निराकरण किया जायेगा।
- शिकायत हेतु कॉल सेन्टर के टोल फ्री नम्बर का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाय तथा जन–सामान्य को इन योजनाओं के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की जानकारी, शिकायत अथवा सुझाव के लिए इस नम्बर के प्रयोग हेतु प्रोत्साहित किया जाय।

8. <u>पर्यवेक्षण व अनुश्रवणः–</u>

- उपर्युक्त निर्देशानुसार संशोधित गतिविधियां जिला स्वास्थ्य सोसाइटी के शासी निकाय की स्वीकृति के उपरान्त सम्पादित की जायें।
- गतिविधियों का नियमित पर्यवेक्षण व अनुश्रवण स्वास्थ्य इकाई के प्रभारी, जनपदीय नोडल अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा जिलाधिकारी के माध्यम से किया जाय।
- निविदा प्रक्रिया, वाउचर, लागबुक तथा प्रमाण पत्र मुद्रण आदि में होने वाला व्यय जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत उपलब्ध 4 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय की धनराशि से नियमानुसार वहन किया जाए।

9. <u>रिपोर्टिंगः–</u>

- कार्यक्रम के अन्तर्गत विकसित किये गये जिला स्तरीय भौतिक प्रगति का रिपोर्टिंग प्रपत्र, जो संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है, पर नियमित रिपोर्टिंग प्रत्येक माह की 5 तारीख तक राज्य स्तर पर निदेशक–मातृ एवं शिशु कल्याण, परिवार कल्याण निदेशालय तथा महाप्रबन्धक–जे0एस0एस0के0 को भेजी जायें।
- **यह स्पष्ट किया जाता है कि सत्यापन, अनुश्रवण अथवा निरीक्षण के दौरान यदि किसी भी प्रकार की कमी अथवा गड़बड़ी स्वास्थ्य इकाई के नोडल अधिकारी अथवा जनपदीय नोडल अधिकारी के स्तर पर उदासीनता, अकर्मण्यता, गलत मंशा अथवा नीयत के अन्तर्गत पाई जाती है या कार्यक्रम के अन्तर्गत किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता पाई जाती है तो सुसंगत एवं वैधानिक दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी एवं विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संस्तुति कर दी जायेगी।**

10. <u>योजना का व्यापक प्रचार–प्रसारः–</u>

- यह योजना एक अत्यन्त महत्वाकांक्षी तथा जन हितकारी कदम है तथा इसके अन्तर्गत मिलने वाली समस्त निःशुल्क सुविधाओं का व्यापक प्रचार–प्रसार जनपद में ग्रामीण क्षेत्रों तक सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। प्रचार–प्रसार के लिए जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत जनपद स्तर पर उपलब्ध कराई गई 4 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय की धनराशि में से योजना बनाकर जनपदीय स्वास्थ्य समिति के अनुमोदनोपरान्त कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।
- प्रत्येक आच्छादित स्वास्थ्य इकाई पर 5 फिट X 4 फिट के आकार के फ्लैक्स बोर्ड पर बड़े–बड़े अक्षरों में 6 मीटर की दूरी से स्पष्ट दिखने वाले संदेश लिखे जायें। प्रदर्शित किये जाने वाले संदेश का प्रोटोटाइप **संलग्नक–10** पर प्रेषित किया जा रहा है। प्रत्येक स्वास्थ्य इकाई पर ऐसे 5 बोर्ड लगाये जायेंगे–एक पंजीकरण काउन्टर के पीछे, एक मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका के कक्ष के बाहर, एक प्रसव कक्ष के बाहर, एक ऑपरेशन थियेटर के बाहर तथा एक पोस्ट नेटल वॉर्ड में।

- योजना के सम्बन्ध में आकाशवाणी, दूरदर्शन तथा केबल ऑपरेटर के माध्यम से जन–समुदाय की जागरुकता के लिए रेडियो जिंगल्स/स्पॉट्स, वार्ता, विज्ञापन आदि प्रसारित कराये जायें।
- शिकायत हेतु कॉल सेन्टर के टोल फ्री नम्बर (1800–180–1900) को बोर्ड में दर्शाया जाय तथा व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाय, जिससे आवश्यकता पड़ने पर जन–सामान्य इस सुविधा का लाभ उठा सकें।
- जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत एक्रीडिटेड उपकेन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा पंचायत घर, आंगनवाड़ी केन्द्रों पर भी वॉल राइटिंग के माध्यम से जन–सामान्य को जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत मिलने वाले निःशुल्क प्राविधानों से अवगत कराया जाय।

यहां यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि विभिन्न गतिविधियों हेतु भेजे गये विस्तृत दिशा–निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाय तथा समस्त वित्तीय गतिविधियों में हाल में तैनात किये गये लेखाधिकारियों की सहभागिता सुनिश्चित करते हुए किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता से बचा जाय, अन्यथा इसका पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि उपर्युक्त निर्देशों के क्रम में आपके मार्गदर्शन एवं सतत् पर्यवेक्षण में प्रदेश की मातृ मृत्यु दर एवं नवजात शिशु मृत्यु दर में निश्चित रूप से कमी लाई जा सकेगी।

संलग्नक–1 से 10

रिपोर्टिंग प्रपत्र का प्रारूप–1

भवदीय

(संजय अग्रवाल)
प्रभारी प्रमुख सचिव

पत्रसंख्या :–एसपीएमयू/जे0एस0एस0के0/93/2012–13/60528 **तद्दिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को इस आशय से प्रेषित कि वे अपने स्तर से समस्त जनपदों को सूची के अनुसार औषधियों एवं कन्ज्यूमेबिल्स के रेट कॉन्ट्रेक्ट की दरें उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. महानिदेशक, परिवार कल्याण को इस आशय से प्रेषित कि वे अपने स्तर से उपर्युक्त समस्त गतिविधियों का नियमित पर्यवेक्षण व अनुश्रवण सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
3. डॉ0 हिमांशु भूषण, उपायुक्त, मातृ स्वास्थ्य, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
4. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त जनपदीय नोडल अधिकारी जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी/वित्त एवं लेखाधिकारी, मु0चि0अ0 कार्यालय, उ0प्र0।
7. समस्त मण्डलीय एवं जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धक, एन0आर0एच0एम0, उत्तर प्रदेश।
8. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।

27/06/12
(मुकेश कुमार मेश्राम)
प्रभारी मिशन निदेशक